शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-221/तीन-2020-6(12)/2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर/शामली।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2020

विषयः- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 व वर्ष 2019-20 की एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई, 1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5(14)/97सा0प्र0अनु0, दिनांक 06 मई, 1999, शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008-5(1)/2004, दिनांक 21 सितम्बर, 2008 एवं शासनादेश संख्या-647/तीन-2018-10(35)/2016, दिनांक 10-10-2018 के अनुसार अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र से अलंकृत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखिति 05 नागरिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार कुल रू0 16,15,000/-(रू0 सोलह लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	अलंकरण/ पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि	अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता	राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/एकमुश्त/ वार्षिकी एवं संगत वित्तीय वर्ष	धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नरेन्द्रनाथ धर दूबे	कीर्ति चक्र 15-08-2004	ग्राम सराय मझगावाॅ, पो0 बौठा, थाना झंगहा, तहसील चैरीचैरा, गोरखपुर	वत्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिकी रू0 1,00,000/-	श्री नरेन्द्रनाथ धर दूबे
2.	कैप्टन अनूप पाण्डेय	शौर्य चक्र 26-01-2010	सी/179/184/ए शास्त्री नगर बेतियाहाता, गोरखपुर	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिकी रू0 50,000	कैप्टन अनूप पाण्डेय
3.	नायक राजेश मिश्र	शौर्य चक्र, 12-07-1998	ग्राम भरसी, पो0 डाण्डी, तहसील गोला, गोरखपुर	वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/-	नायक राजेश मिश्र
4.	शहीद सैपर अमरजीत सिंह	शौय चक्र (मरणोपरान्त) 15-08-2011	ग्राम वा पो0-गाॅगूपार, तप्पा-अठैसी, तह0 बासगाॅव, जनपद गोरखपुर	वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/-	श्रीमती दीपमाला सिंह पत्नी स्व0 सैपर अमरजीत सिंह
5.	लाॅस नायक श्री अय्यूब अली	शौर्य चक्र 26-01-2019	इदरीश बेग विहार (रामनगर) काॅधला देहात पोस्ट काॅधला जनपद शामली	एकमुश्त धनराशि रू0 13,00,000/- व वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिकी रू0	लाॅस नायक श्री अय्यूब अली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				65,000/- कुल रू0 13,65,000/-	
			योग:	**रू0 16,15,000/-**	
			(रू0 सोलह लाख पन्द्रह हजार मात्र)		

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक "2075-विविध सामान्य सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय' ' के नामे डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे की उपर्युक्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।

4- जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचान नियमानुसार करने के उपरान्त Electronic fund Transfer से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाए कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवत हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाए तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाउचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाए। संबंधित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का "जीवित प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे। यह शासनादेश एवं ग्रिड रिपोर्ट www.shasanadesh.up.gov.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/तीन-2020-तद्दिनांक0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, गोरखपुर/शामली।
3- संबंधित व्यक्ति/प्राप्तकर्ता।
4- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उ0प्र0, कैसरबाग, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमेश यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सामान्य प्रशासन विभाग

आवंटन आदेश संख्याः 010-gad3/1 **आवंटन तिथिः** 03/03/2020

कोषागारः 32 गोरखपुर **वित्तीय वर्षः** 2019-2020

अधिकारी/जनपद का संख्याः 4183- जिलाधिकारी **अधिकारी कार्यालय संख्याः** 01- -

अनुदान संख्याः 84- सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षकः 2075- विविध सामान्य सेवायें

800 - अन्य व्यय

03- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ0प्र0 के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि

आयोजनेत्तर-मतदेय

कोषागारः गोरखपुर **(धनराधि रूपये में)**

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	325000	250000	575000
योग:	**325000**	**250000**	**575000**

उमेश यादव

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सामान्य प्रशासन विभाग

आवंटन आदेश संख्याः 011-gad3/2 **आवंटन तिथिः** 03/03/2020

कोषागारः 91 - शामली **वित्तीय वर्षः** 2019-2020

अधिकारी/जनपद का संख्याः 4183- जिलाधिकारी **अधिकारी कार्यालय संख्याः** 01- -

अनुदान संख्याः 84- सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षकः 2075- विविध सामान्य सेवायें

800 - अन्य व्यय

03- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ0प्र0 के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि

आयोजनेत्तर-मतदेय

कोषागारः शामली **(धनराधि रूपये में)**

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	65000	1365000	1430000
योग:	**65000**	**1365000**	**1430000**

उमेश यादव

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।